	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 17, मंगलवार, शाके 1942–सितम्बर 8, 2020 *Bhadra 17, Tuesday, Saka 1942–September 8, 2020*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।

श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 03, 2020

संख्या पं. 1(47)श्रनि/79-पार्ट :-राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ 1(47)श्रनि/79/पार्ट दिनांक 03.09.2020 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 मे उल्लेखित जिला जज केडर के अधिकारियों को उनके सामने कालम स. 03 में वर्णित औद्योगिक न्यायाधिकरण एंव श्रम न्यायालय हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**अधिकरण एवं न्यायालय का नाम**
(01)	(02)	(03)
1	श्री मुकेश भार्गव, जज फेमिली कोर्ट भीलवाडा	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भीलवाडा
2	श्री हनुमान प्रसाद, जज, स्पेशल कोर्ट, फोर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेन्स एक्ट ,2012 एन्ड कमीशन फोर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 नं. 5 कोटा	न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कोटा

राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र किशन,

संयुक्त शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।